17/04/15

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

फैक्स एवं ई–मेल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक :– बी1–3–18 / 2015– 1371 पटना, दिनांक 15 अप्रैल, 2015.

प्रेषक

संजय कुमार,
उप सचिव।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी (बिहार राज्य)।

विषय :– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (NERPAP) के तहत निर्वाचक सूची को त्रुटिरहित बनाये जाने के लिए खराब गुणवत्ता वाले /Mismatch (पुरूष के स्थान पर महिला तथा महिला के स्थान पर पुरूष) छायाचित्रों को परिवर्तित/संशोधित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि निर्वाचक सूची को त्रुटिरहित बनाये जाने के उद्देश्य से बिहार राज्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (NERPAP) क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का विवरण की जानकारी दिनांक 10.04.2015 को आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा आपको दी गई थी। सुलभ संदर्भ हेतु दिनांक 15.05.2015 को निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के पूर्व NERPAP के तहत किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

आप अवगत है कि वर्ष 2007–08 में टेक्स्ट निर्वाचक सूची को फोटो निर्वाचक सूची में परिणत करने के दौरान मिनियेचर शीट के माध्यम से फोटो क्रॉप कर निर्वाचक सूची डाटाबेस में पोर्ट किये गये थे। वैसे छायाचित्रों की गुणवत्ता काफी खराब है, जिससे निर्वाचक सूची की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

निर्वाचकों के आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल के संग्रहण हेतु मुख्यालय स्तर पर चेकलिस्ट तैयार कर जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से निर्वाचकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल बी0एल0ओ0 के माध्यम से संग्रहित किया जाना है। बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जा कर सूचना संग्रहित करने के दौरान वैसे निर्वाचक, जिनके खराब गुणवत्ता वाले /Mismatch (पुरूष के स्थान पर महिला तथा महिला के स्थान पर पुरूष) छायाचित्र निर्वाचक सूची में सम्मिलित है, उनसे अच्छे गुणवत्ता वाले रंगीन छायाचित्र संग्रहित किये जाने हैं।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाये कि निर्वाचकों के आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल के संग्रहण के दौरान वैसे निर्वाचक, जिनके खराब गुणवत्ता वाले /Mismatch (पुरूष के स्थान पर महिला तथा महिला के स्थान पर पुरूष) छायाचित्र निर्वाचक सूची में सम्मिलित है, के अच्छे गुणवत्ता वाले रंगीन छायाचित्र संग्रहित भी बी0एल0ओ0 के माध्यम से संग्रहित कर लिये जायें।

इसे कृपया उच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनु0 : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

13/4/2015

(संजय कुमार)
उप सचिव।

"मजबूत लोकतंत्र – सबकी भागीदारी"

ज्ञापांक : बी1–3–18/2015– 1371 पटना, दिनांक 15 अप्रैल, 2015.

प्रतिलिपि :– बिहार राज्य के सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला निर्वाचन शाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथा उपर्युक्त।

ह0/- 15/4/2015

(संजय कुमार)

उप सचिव।

ज्ञापांक : बी1–3–18/2015– 1371 पटना, दिनांक 15 अप्रैल, 2015.

प्रतिलिपि :– बिहार राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथा उपर्युक्त।

ह0/- 15/4/2015

(संजय कुमार)

उप सचिव।

ज्ञापांक 317 /निर्वा० दिनांक 17.04.2015

प्रतिलिपि :– सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी / सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नवादा जिला को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Chandra 17/4/15

उप निर्वाचन पदाधिकारी नवादा।

17.4.15

दिनांक 15.05.2015 को निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के पूर्व **NERPAP** के तहत किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण

17/04

1.	Repeated EPIC संख्या वाले निर्वाचकों को नया ईपिक हस्तगत कराया जाना	10 अप्रैल, 2015 तक
2.	दिनांक 12.04.2015 को सभी मतदान केन्द्रों पर आयोजित होने वाले विशेष कैम्प की तैयारी सुनिश्चित कराना एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना	13 अप्रैल, 2015
3.	Cascaded Training हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना – बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, पूर्वी चम्पारण एवं सिवान जिलों को छोड़ कर	15 अप्रैल, 2015 तक
4.	मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा घर–घर जा कर चेकलिस्ट के आधार पर आधार संख्या, मोबाईल नम्बर, ई–मेल का संग्रहण करना तथा खराब गुणवत्ता वाले छायाचित्रों के प्रतिस्थापन हेतु प्ररूप 8 प्राप्त करना	16 अप्रैल, 2015 से 20 अप्रैल, 2015 तक
5.	सभी मतदान केन्द्रों के अक्षांश एवं देशान्तर संबंधी आंकड़ों की शुद्ध–शुद्ध अपलोडिंग से संबंधित प्रमाणपत्र मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना	20 अप्रैल, 2015 तक
6.	मुख्यालय से उपलब्ध कराये गये चेकलिस्ट के आधार पर संग्रहित आधार संख्या, मोबाईल नम्बर, ईमेल की डाटा इन्ट्री सुनिश्चित कराया जाना	25 अप्रैल, 2015 तक
7.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार संभावित दोहरी प्रविष्टि का नियमानुसार जांच कराकर विलोपन की कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाना	30 अप्रैल, 2015 तक
8.	सिटिजन सर्विसेज पोर्टल पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों के विवरण को अद्यतन कराया जाना	30 अप्रैल, 2015
9.	ईपिक संख्या के विरूद्ध संग्रहित किये गये आधार संख्या को सत्यापित करा कर निर्वाचक सूची डाटाबेस में Seeding कराना	05 मई, 2015 तक
10.	दिनांक 01.01.2015 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन	15 मई, 2015 को
11.	ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्राप्त होने वाले आवेदनों के नियमित निष्पादन, संभावित दोहरी प्रविष्टि के विलोपन, आधार नम्बर के सत्यापन एवं निर्वाचक सूची संबंधी अन्य कार्यों हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के स्तर पर सप्ताह में तीन दिन सुनवाई हेतु समय निर्धारित कराया जाना	प्रत्येक सप्ताह में तीन दिन